संख्या-171/2022/ 1156/001-1057-23-10-22-49-सा0-2022

प्रेषक,

अभय कुमार ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर,2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत वाराणसी क्षेत्र के 02 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि काआवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (31वां वृत्त सेतु) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-1888/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/वी0एन0एस0/2022-23 दिनांक 19.10.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत के कुल 02 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-04 में अंकित कार्यों के सापेक्ष तालिका के कॉलम-13 में अंकित लागत कुल रू0 7.54 लाख (रूपये सात लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	वाराणसी	प्राख. चंदौली.	जनपद चन्दौली में सकलडीहा अमड़ा वाया तुलसी आश्रम मार्ग के किमी-11 पर आरसी.सी. लघु सेतु . के निर्माण कार्य।	93.47	11.43	82.04	0.63	76.92	4.49	**3.54**	**0.95**	**4.49**
2	वाराणसी	प्रा.ख. चंदौली	जनपद चन्दौली में सकलडीहा तुलसी आश्रम से अमावल सम्पर्क मार्ग के किमी-1 में आरसी.सी. पुलिया . के निर्माण कार्य।	62.1	11.43	50.67	0.11	47.51	3.05	**2.40**	**0.65**	**3.05**
			योग -	155.57	22.86	132.71	0.74	124.43	7.54	5.94	1.60	7.54

अवमुक्त धनराशि रू0 7.54 लाख (रूपये सात लाख चौवन हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/INTRA

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धो

(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

(2) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 5,94,000 (रुपये पांच लाख चौरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखाशीर्षक 5054041010 421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,60,000(रुपये एक लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07- जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-171/2022/ 1156/001-1057-23-10-22-49-सा0-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(8) श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।
(9) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/INTRA